कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 02/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 01.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अवैध तमंचा .315 बोर मय जिंदा कारतूस एवं चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01.03.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन/रात्रि गश्त के दौरान गाजीमियां का रौजा के पास से 01 नफर अभियुक्त संजय बिंद उर्फ बुझारत पुत्र स्व0 बुच्ची बिंद निवासी ग्राम-अकटहिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (सुपर स्प्लेण्डर) बरामद किया गया।

विवरण पूँछताछ -कड़ाई से पूँछने पर संजय बिंद उर्फ बुझारत उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं अन्य अपराधों मे कई बार पहले भी जेल जा चुका हूँ इसलिए अपनी जान माल की सुरक्षा के लिये मैं अपने पास असलहा रखता हूँ। पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 01.03.2025 को हिरासत पुलिस मे लिया गया बरामद अवैध शस्त्र व कारतूस के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस का अभियोग उक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा उपरोक्त बरामदशुदा मोटरसाइकिल सदर कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत अभियोग 123/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. संजय बिंद उर्फ बुझारत पुत्र स्व0 बुच्ची बिंद निवासी ग्राम-अकटहिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1 . मु0अ0सं0 107/2017 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

2 . मु0अ0सं0 345/2017 धारा 392/411 थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

3 . मु0अ0सं0 365/2017 धारा 307 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

4 . मु0अ0सं0 366/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

5 . मु0अ0सं0 868/2016 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

6 . मु0अ0सं0 869/2016 धारा 8/20 NDPS Act थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

7 . मु0अ0सं0 71/2024 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

8 . मु0अ0सं0 123/2025 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01.03.2025 को उत्तर प्रदेश बोर्ड हाईस्कूल व इण्टरमीडियट 2025 की परीक्षा में शान्ति निकेतन इ0का0 बरही,गाजीपुर में केन्द्र व्यवस्थापक प्रकाश चन्द्र दुबे,स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री जनार्दन सिंह कुशवाहा,वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक श्री आलोक सिंह एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट श्री अंशल कुमार उपनिबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव, गाजीपुर के द्वारा निरीक्षण के दौरान ,कक्ष सं0 – 12 में अनुक्रमांक -1252098774 धीरज राज पुत्र शिवनाथ राम निवासी ग्रा0 व पो0- मनोहरपुर वक्सर, महिला विहार – 802123, के स्थान पर कृष्णा मौर्या पुत्र ईश्वरचन्द्र मौर्य निवासी ग्रा0 व पोस्ट रायपुर वाघपुर, थाना मरदह गाजीपुर परीक्षा देते हुए पाया गया। जिसमें थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/2025 धारा 13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) विधियेक, 2024 पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. कृष्णा मौर्या पुत्र ईश्वरचन्द्र मौर्य निवासी ग्रा0व पोस्ट रायपुर,वाघपुर,थाना मरदह गाजीपुर

03- थाना नोनहरा पुलिस द्वारा हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के दौरान दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 01.03.2025 को हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के दौरान थाना नोनहरा क्षेत्र के इण्टर कालेज खालिसपुर मे दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर नीबूलाल पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम बहुवारा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर परीक्षा दे रहा था जिसे केन्द्र व्यवस्थापक शिवजी सिंह बाह्य केन्द्र व्यस्थापक ,श्री रमेश चन्द्र यादव स्टैटिक मजिस्ट्रेट श्री आनन्द कुमार गुप्ता व बाह्य निरीक्षक श्री राणा प्रताप सिंह एवं डा0 तुलसी दास पासवान के द्वारा निरीक्षण के दौरान पकड़ लिया गया । उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर केन्द्र व्यस्थापक शिवजी सिंह द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त नीबूलाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना नोनहरा पर मु0अ0सं0 59/2025 धारा 13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) विधियेक,2024 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 . नीबूलाल पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम बहुवारा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर